



पंजाब
सर्वकार
पाटली

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज मू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 937/2016 में तहसीलदार सुभरपुर धारा 22/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेगुलेशन का जारि संमन तलब किया गया। अधिनियम न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुभरपुर ने अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नंबर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म गी0म0 माखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अधिकरण मानते हुए अपीलान्त पर जुर्माना आयापित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधिनियम न्यायालय द्वारा इस बाबत किस्ती प्रकरण की जांच नहीं की गई कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अधिकरण की श्रेणी में परिगणित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य संचित ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किस्ती प्रकरण के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलान्त को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अधिकरण मानते हुए और अपील आदेश के जारि अपीलान्त की तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पश्चातवर्ती अधिकरण उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला ही। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी अधिनियम न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से और अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा नंबर 844 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलान्त का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानों में स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन दिये गए हैं। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधिनियम न्यायालय द्वारा इन सम्बन्धित अपीलान्त को नजर अन्दाज करते हुए और अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पंजाब अपीलान्त न्यायालय द्वारा भी अधिनियम न्यायालय द्वारा और अपील प्रकरण में अपनाने गई

—: निर्णय :-

उपस्थित :-
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त
सरकारी पैराकार, रेगुलेशन की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व अपील : 56/2017
अपीलान्त
गोबिन्दसिंह पुत्र जखरसिंह जालि राजपूत
निवासी खिवान्दी तहसील सुभरपुर
बनाम
सरकार जारि भूमिधारी तहसीलदार
सुभरपुर
रेगुलेशन :-

पाटली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाटली
पीठाधीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बदला रखा। इससे व्यक्त होकर यह अधीन प्रस्तुत की गई है। अधीन प्रस्तुत अपन परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिस निरुद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। अतः प्रकरण का परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीन स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अधीन आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी प्रोकर ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गी0म0 माखर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अधीन प्रस्तुत द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अधीन प्रस्तुत के निरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बंदखली पारित किये गये हैं। धार्क अधीन प्रस्तुत द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अधीन प्रस्तुत की अधीन खोज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गी0म0 माखर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गजबंदी पत्र जखरसिंह कौम राजपूत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पृष्ठी निवत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अधीन प्रस्तुत के कर्तव्य के सदस्य से तामील करवाया गया है, जिस विधिवत तामील मानते हुए बार बार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अधीन आदेश के जारिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीन प्रस्तुत को उक्त भूमि से बंदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीन प्रस्तुत की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अधीन प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से उपस्थित ही नहीं हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीन प्रस्तुत द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अधीन प्रस्तुत के निरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है। परिणाम स्वरूप अधीन प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अधीन सादहन होने से खोज की जाती तथा तहसीलदार सुमरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 937/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अधीन संख्या 22/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 में पारित निर्णय अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। निर्णय आ ज दिनांक 18.12.17 को भेजे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खले न्यायालय में सुनाया गया।



(होम गजबंदी विभाग)
राजस्व अधीन प्रक्रिया विभाग
जयपुर

[Handwritten signature]